(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at 1(a) above. [Placed in Library. *See* No. LT 1160/90 for (1) and (2)]

III. A copy each (in English and Hindi) of the Fifth Annual Report of the National Capital Region Planning Board, for the year 1989-90, under section 26 of the National Capital Region Planning Board Act,' 1985. [Placed in Library. *See* No. LT 1161/ 90 (1) and (2)]

I. Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Rules, 1990 and related papers.

II **Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Regulation, 1990 and related papers.**

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

I. डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 की धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन श्रम मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

(i) डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) नियम, 1990 को प्रकाशित करने वाली सा०का०नि० सं० 79(अ) दिनांक 16 फरवरी, 1990।

(ii) डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विनियम, 1990 को प्रकाशित करने वाली सा०का०नि० सं० 80(अ) दिनांक 16 फरवरी, 1990।

II. ऊपर (I) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)

[Placed in Library. *See* No. LT 1162/90 for I and II]

Report and Accounts (1988-89) of the National Centre for Management of Agricultural Extention (Manage.), Hyderabad and_ related papers.

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितिश कुमार) महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं:—

(i) 1988-89 के वर्ष के लिए नेशनल सेन्टर फार मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (मैनेज०), हैदराबाद का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ii) उपर्युक्त प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा विवरण।

(iii) ऊपर (i) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)

[Placed in Library. *See* No. LT 1171/90 for (i) to (ui)l

I. Railway Accidents (Compensation) Rules, 1990.

II. **Railways (Extent of Monetary Liability and Prescription of Percentage Charge) Rules, 1990.**

THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI GEORGE FERNANDES): Madam, I lay on the Table, under Section 199 of the Railways Act, 1989, a copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Railways:—

(i) G.S.R. No. 552(E), dated the 7th June, 1990, publishing the Railway Accidents (Compensation) Rules, 1990.